(11)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक रिव्यू-1154-तीन/14

सूर्यबली शर्मा तनय नन्दकिशोर निवासी ग्राम इटौरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

------आवेदक

बनाम

रमाशंकर शुक्ला तनय रामभिलाष शुक्ला, निवासी ग्राम इटौरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

------अनावेदक

श्री..प्रियव्रत द्विवेदी..एड द्वारा आज दिनांक..11-03-14.. के प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

माननीय सदस्य श्री अशोक शिवहरे द्वारा पारित आदेश प्रकरण क0–2883/111/2013 दिनांक 21/01/2014 के संदर्भ में पुर्नविलोकन हेतु आवेदन पत्र

अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

रिव्यू- 1154-तीन/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
7.4.2014	न्यायालयीन प्रकरण कमांक 2883/ III/ 2013 में पारित आदेश दि. 21.1.14 के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन हेतु आधारों में बताया गया है कि इस न्यायालय में यदि निगरानी श्रवण योग्य नहीं थी तब न्यायालय को सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु वापिस करना थी। न्यायालयीन आदेश दिनांक 21.1.14 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक की ओर से प्रकरण कमांक 2883/ III/ 2013 में सुनवाई के समय ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई कि निगरानी उन्हें वापिस कर दी जावे। अतः पुनरावलोकन हेतु लिया गया यह आधार संहिता की धारा 51 में वर्णित आधारों पर आधारित न होने से माने जाने योग्य नहीं है। 3/ अन्य आधार यह लिया गया है कि न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 21–1–14 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 2–7–13 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना और स्थिर रख दिया है। यह एक न्यायिक प्रकिया है कि जब निगरानी प्रचलन योग्य नहीं रही एंव निरस्त हुई, जिस आदेश के विरूद्ध निगरानी है निगरानाधीन आदेश यथावत् रहेगा, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे आदेश को सक्षम न्यायालय में अपील में चुनौती नहीं दी जा सके। पुनरावलोकन हेतु दर्शाया गया यह आधार भी संहिता की धारा 51 में वर्णित आधारों पर आधारित न होने से माने जाने योग्य नहीं है। 4/ उक्त कारणों से पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।	सूचित हुआ 09/4/14

गाक्षमुद्रा--320--फार्म--21-9-12--5,000 प्रपत्र